रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

16

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 2002/आषाढ़ 22, 1924

No. 322] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 2002/ASADHA 22, 1924

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(लेखा महानियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2002

सा. का. नि. 493(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र सा.का.नि. 790(स्था.) तारीख 12-12-1995 भाग-II खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन :** इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के पद से संबंधित अधिकारी या जिन्होंने केन्द्रीय लेखा सेवा किसी अन्य पद पर उनकी नियुक्ति/अनुज्ञा के पूर्व यह पद धारण किया है, उक्त पद को आरंभिक गठन के प्रक्रम पर नियुक्ति किया गया समझा जाएगा।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
निजी सचिव	17*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	6500-200-10500/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति :— 5500-175-9000/- रु. वेतनमान में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-1 जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, जिसके न हो सकने पर आशुलिपिक श्रेणी-1 और आशुलिपिक श्रेणी-2 (वेतनमान रु. 5000-150-8000/- रु. की श्रेणियों में छह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें से दो वर्ष आशुलिपिक श्रेणी-1 के रूप में होनी चाहिए। **टिप्पण**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रका सेवा पहले ही पूरी की ली है, अगली	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. संयुक्त लेखा महानियंत्रक —अध्यक्ष 2. भारतीय सिविल लेखा सेवा के प्रधान नियंत्रक, लेखा/नियंत्रक लेखा के दो अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

12

उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी—

(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। [प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)]

[फा. सं. ए-23023/1/01/एमएफ-सीजीए(ए)/एनजीई/आरआर-पीएस]
यू.के. मैत्रा, संयुक्त लेखा महानियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2002

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred, by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service, Senior Personal Assistant (Group "B", Gazetted) Recruitment Rules, 1994, published in the Gazette of India vide G.S.R. 790(E) dated 12-12-1995, Part II, Section 3, Sub-section (i) and except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary of the Central Civil Accounts Service, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Private Secretary) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Initial Constitution.**—The Officers belonging to the post of Private Secretary, Group "B" Gazetted on regular basis in Central Civil Accounts Service on the date of commencement of these rules or have held this post before their

appointment/permission to any other post in Central Civil Accounts Service shall be deemed to have been appointed at the initial constitution stage to the said post.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Serviceman, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Private Secretary	17* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group B, Gazetted Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Non-Selection	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition thereof	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Stenographer Grade I in the scale of Rs. 5500-175-9000 with three years' regular service in the grade failing which combined regular service of six years' in the grades of Stenographer Grade I, and Stenographer Grade II, (Pay scale Rs. 5000-150-8000/-) of which two years shall be as Stenographer Grade I. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** (a) Officers of the Central Government (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000/- or equivalent in the parent cadre/department;or. (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000/- or equivalent in the parent cadre/department;and (b) possessing a speed of 100 words per minute in stenography (English or Hindi.) [The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of application)].	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) 1. Joint Controller General of Accounts —Chairman 2. Two officers of the rank of Chief Controller/Controller of Accounts from Indian Civil Accounts Service —Members	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-23023/1/01/MF-CGA(A)/NGE/RR-PS]

U.K. MAITRA, Jt. Controller General of Accounts.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.